

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा..... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का कालिया  
बनाम

अप्रार्थी - श्री मोहराम | वसुधाम जा निवासी कालिया अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व  
अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 38 / 2018  
निर्णय -

दिनांक 4.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालिया ने  
अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत 2075 में सरहद कालिया  
के खसरा नम्बर 409 नी किरम 3.50 में रकबा 0.0010 है भूमि में प्रमाण की  
कर अतिक्रमण किया है जिस पर धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज  
दिया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सदूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी 3  
से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री  
..... ने दिनांक ..... को उपस्थित हाकर .....  
प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट  
का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी श्री मोहराम के खसरा नम्बर 409 किरम 3  
रास्ता में रकबा 0.0010 है बादा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में  
सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से  
बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12 रुपये प्रति बीघा की  
दर से अतिक्रमित रकबा 0.0010 है भूमि के 0.012 रुपये लगान का 50 गुण 1  
..... / - अक्षर ..... रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि  
तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे।  
पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर  
पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा  
उप तहसीलदार पीलवा